राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1410/2009
दिनेश कुमार यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि निदेशालय, राजस्थान, कृषि भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.08.1998 को उप निदेशक, कृषि विस्तार, भीलवाड़ा किये जाने के आदेश दिये गये थे, परंतु अपीलार्थी ने भीलवाड़ा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। बाद में उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.03.1999 को निरस्त कर दिया, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 03.04.1999 को पुनः कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आदेश दिनांक 02.02.1999 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 14.08.1998 के पश्चात लगातार स्वेच्छा से अनुपस्थित मानते हुए उपस्थिति देने की अवधि के पूर्व की समस्त राजकीय सेवा जब्त (FORFEIT) किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी ने अपनी पूर्व की सेवाएं जब्त (FORFEIT) किये जाने के आदेश को विभागीय अपील के द्वारा चुनौती दी। कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ने आदेश दिनांक 22.04.2008 के द्वारा अनुपस्थिति दिनांक 15.08.1998 से 11.04.1999 को अकार्य अवधि मानते हुए उक्त अवधि को पेंशन हेतु गणना योग्य माने जाने का निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को सेवानिवृति लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 30.09.2007 को सेवानिवृत हुआ और अपीलार्थी को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किया गया और इसलिए अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा

पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत देरी से भुगतान हुए सेवानिवृत्ति लाभ पर ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ के विलम्ब से भुगतान के लिए अपीलार्थी स्वयं उत्तरदायी है। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन, तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय को पुनरावलोकन याचिका एवं माननीय न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), जयपुर नगर, जयपुर में वाद दायर कर स्थगन आदेश दिनांक 22.10.2006 को प्राप्त किया, इसके फलस्वरूप अपीलार्थी के प्रकरण का अन्तिम विनिश्चय दिनांक 22.04.2008 को हुआ। पेंशन प्रकरण के निस्तारण में कोई विलम्ब नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

3. हमनें उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। प्रत्यर्थी विभाग निदेशालय ने स्वयं ने अपील दिनांक 22.04.2008 स्वीकार करते हुए अपीलार्थी की सेवाएं पेंशन हेतु गणना योग्य मानी है। अपीलार्थी की सेवा जब्त (FORFEIT) किये जाने के आदेश के कारण समय पर अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जा सकता है, जिसे प्रत्यर्थी विभाग ने बाद में गलत माना है। अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने में अपीलार्थी का कोई दोष नहीं था।

4. अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पेंशन दिये जाने में हुई देरी के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज राशि प्रदान की जाये।

5. इस आदेश की पालना 2 माह में सुनिश्चित की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)